—

कार्यालय :— जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक/224 /ऋण माफी योजना/2017—18/दिनांक 09-07- 2017

1— जिला समन्वयक, बैंक ऑफ इण्डिया, गाजियाबाद।

2— जिला समन्वयक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, गाजियाबाद।

3— जिला समन्वयक, आन्ध्रा बैंक, गाजियाबाद।

4— जिला समन्वयक इण्डियन ओवरसीज बैंक, गाजियाबाद।

5— जिला समन्वयक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, गाजियाबाद।

6— जिला समन्वयक, कारपोरेशन बैंक, गाजियाबाद।

7— जिला समन्वयक, यूनियन बैंक, गाजियाबाद।

प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों की उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में जिला अग्रणी बैंक एवं जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से आपके बैंक द्वारा कितने लघु एवं सीमान्त किसानों ने फसली ऋण लिया है तथा उक्त किसानों के पास फसली ऋण के रूप में कितनी धनराशि बकाया है, तथा उक्त किसानों को ऋण राहत की राशि बार बार आपसे दूरभाष एवं Whatsapp के **DCC GHAZIABAD GROUP** के माध्यम से सूचनाऐं मांगी गई।

आज दिनांक 09.07.2017 तक आपने उक्त सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करायी है। उक्त सूचनाओं को जिलाधिकारी एवं आयुक्त महोदय ने अद्यतन उक्त सूचना न मिलने के कारण रोष व्यक्त किया, क्योंकि आज दिनांक 09.07.2017 सांय 7:00 बजे माननीय मुख्य मन्त्री, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिग आयोजित की गई है।

इस प्रकार आपने राजकीय कार्यों में बांधा उत्पन्न की है। इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पडेगा। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(मिनिस्ती एस0)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, गाजियाबाद।

2— जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।

3— प्रबन्ध निदेशक सम्बन्धित बैंक, गाजियाबाद।

4— मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।

5— मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

6— प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

7— प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

RAHUL/RAMBHAJAN/lettter